SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal
"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Anganwadi Worker & Helper — Women & Child Development Department, Rajasthan

आंगनबाड़ी केंद्र राजस्थान के गाँव, ढाणी एवं शहरी वार्ड में सरकार की सबसे नज़दीकी उपस्थिति है — वहाँ छह वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं आरंभिक शिक्षा मिलती है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का पंजीयन एवं देखभाल होती है, टीकाकरण...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-anganwadi-worker

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

🙏 विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

आंगनबाड़ी केंद्र राजस्थान के गाँव, ढाणी एवं शहरी वार्ड में सरकार की सबसे नज़दीकी उपस्थिति है — वहाँ छह वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं आरंभिक शिक्षा मिलती है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का पंजीयन एवं देखभाल होती है, टीकाकरण एवं वृद्धि-निगरानी होती है, और किशोरी बालिकाओं की योजनाएँ चलती हैं। इस केंद्र को चलाने वाली दो महिलाएँ हैं: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो केंद्र की प्रभारी होती है, और सहायिका, जो बच्चों को लाने-ले जाने, भोजन बनाने एवं केंद्र की देखभाल में सहयोग करती है। इसके साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के पद भी इसी विज्ञप्ति से भरे जाते हैं। एक बात आरंभ में ही स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है, और यह पृष्ठ उसी पर टिका है — यह सरकारी पद नहीं है। विभाग का आवेदन पत्र स्वयं कहलवाता है कि यह पद "पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है"। इसका अर्थ यह नहीं कि यह काम छोटा है — राजस्थान में यह ग्रामीण महिलाओं का सबसे बड़ा संगठित काम है और गाँव में सरकार का चेहरा यही है — पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि वेतनमान, पदोन्नति-वेतन, पेंशन एवं स्थायित्व इससे नहीं जुड़े हैं, और यह जानकर निर्णय लेना अलग बात है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा 12 (बारहवीं) उत्तीर्ण — कार्यकर्ता एवं सहायिका, दोनों के लिए यही योग्यता। केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं, और उन्हें उसी आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व ग्राम या वार्ड की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है
भर्ती संस्था	महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान — विज्ञप्ति ज़िले के उप निदेशक द्वारा जारी होती है एवं आवेदन सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) कार्यालय में जमा होते हैं
आयु-सीमा	18 से 35 वर्ष (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग), जिसकी गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि को की जाती है। विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजन के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष। विभाग में पहले से कार्यरत मानदेय कर्मी पर आयु-सीमा की कोई बाध्यता लागू नहीं होती
आरंभिक वेतन	₹10,561 प्रतिमाह मानदेय — कार्यकर्ता; ₹6,291 प्रतिमाह — सहायिका (1 अप्रैल 2026 से, राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार)। यह मानदेय है, वेतन नहीं
माँग	भर्ती ज़िलेवार एवं निरंतर चलती है — नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 30 से अधिक ज़िलों की 41 विज्ञप्तियाँ जारी हुईं, हर बार उसी ज़िले के रिक्त केंद्रों के लिए

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- छोटे बच्चों के साथ काम करना एवं उन्हें सिखाना
- अपने ही गाँव या मोहल्ले में रहकर वहीं की महिलाओं एवं परिवारों के लिए काम करना
- पोषण, स्वास्थ्य एवं माँ-बच्चे की देखभाल से जुड़ा काम

क्षमताएँ

- बच्चों के साथ धैर्य, और तीन-चार वर्ष के बच्चों को एक साथ सँभालने की क्षमता
- पढ़ने-लिखने एवं रजिस्टर सँभालने की स्पष्ट क्षमता, क्योंकि सर्वे रजिस्टर, वृद्धि-चार्ट एवं पोषण पोर्टल की प्रविष्टि कार्यकर्ता की ज़िम्मेदारी है
- लोगों को समझाने एवं घर-घर जाकर बात करने की क्षमता — पंजीयन, टीकाकरण एवं पोषाहार के लिए परिवारों को राज़ी करना इस काम का बड़ा हिस्सा है

ज़रूरी कौशल

- तीन से छह वर्ष के बच्चों की आरंभिक शिक्षा — खेल, गीत एवं गतिविधि के माध्यम से
- वृद्धि-निगरानी — बच्चों का वज़न एवं लंबाई नापना एवं कुपोषण पहचानना
- परिवार सर्वे एवं रजिस्टर संधारण, तथा राज पोषण जैसे पोर्टल पर मोबाइल से प्रविष्टि
- किशोरी बालिका योजनाओं एवं महिला समूहों की बैठकों का संचालन
- पूरक पोषाहार का वितरण एवं उसका हिसाब
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का पंजीयन एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना
- टीकाकरण दिवस एवं स्वास्थ्य जाँच शिविरों में ए.एन.एम. के साथ सहयोग

4 कैसे पहुँचें

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण करें। ध्यान दें कि यह योग्यता कार्यकर्ता एवं सहायिका — दोनों के लिए समान है। पहले सहायिका का पद कम योग्यता पर भरा जाता था; अब नहीं भरा जाता, इसलिए "सहायिका के लिए कम पढ़ाई चलती है" वाली पुरानी जानकारी पर भरोसा न करें।
2. अपने ही केंद्र के लिए आवेदन करें — यह इस पद की सबसे बाध्यकारी शर्त है। अभ्यर्थी को उस आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र के राजस्व ग्राम या वार्ड की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है जिसके लिए चयन हो रहा है; ज़िले या पंचायत समिति की निवासी होना पर्याप्त नहीं है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को ससुराल एवं मायके — दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाता है।
3. अंक बढ़ाने वाली योग्यताएँ आवेदन से पहले पूरी करें, क्योंकि चयन परीक्षा से नहीं, दस्तावेज़ों पर दिए गए अंकों से होता है। आवेदन पत्र स्वयं बताता है कि किन योग्यताओं का विवरण माँगा जाता है: सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एन.टी.टी.) या डी.पी.एस.ई., स्नातक एवं स्नातकोत्तर, बी.एड./बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड., कंप्यूटर कोर्स (आर.एस.सी.आई.टी., आर.एस.सी.एफ.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.), तथा ए.एन.एम./जी.एन.एम./आयुर्वेद नर्सिंग। इनमें आर.एस.सी.आई.टी. सबसे सस्ता एवं सबसे तेज़ है और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के आर.के.सी.एल. केंद्रों पर उपलब्ध है।
4. आंगनबाड़ी में किया गया पूर्व कार्य-अनुभव भी अंक दिलाता है — कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका अथवा शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के रूप में। यदि आपने ऐसा कोई काम किया है तो उसका प्रमाण-पत्र सुरक्षित रखें; और यदि आप पहले से मानदेय कर्मी हैं तो दूसरे मानदेय पद पर आवेदन करने पर आप पर आयु-सीमा की कोई बाध्यता ही नहीं है।

5. घर में शौचालय होना अनिवार्य शर्त है। विज्ञप्ति कहती है कि आवेदक महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किया जाना — इस आशय की घोषणा आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। यह शर्त चौंकाती है पर वास्तविक है, और इसे आवेदन के दिन नहीं, पहले देख लेना चाहिए।

6. ज़िले की विज्ञप्ति आने पर आवेदन दो प्रतियों में, स्वयं उपस्थित होकर, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा करें — और प्राप्ति रसीद अवश्य लें। विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि प्राप्ति रसीद के बिना जमा किए गए आवेदन पर किसी भी शिकायत पर विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र सी.डी.पी.ओ. कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से मिलता है। कोई ऑनलाइन आवेदन एवं कोई परीक्षा शुल्क नहीं है।

प्रमुख परीक्षाएँ

- इस पद पर कोई परीक्षा नहीं होती, और कोई साक्षात्कार भी नहीं। चयन दस्तावेज़ों के आधार पर दिए गए अंकों से बनी वरीयता सूची से होता है। यह इस पद की सबसे बड़ी विशेषता है और इसका एक बहुत व्यावहारिक अर्थ है: यहाँ तैयारी का अर्थ पढ़ाई नहीं, बल्कि आवेदन से पहले योग्यताएँ एवं प्रमाण-पत्र जुटाना है। जिस दिन विज्ञप्ति आती है, उस दिन आपका अंक-भार पहले से तय हो चुका होता है।
- अंक किस आधार पर दिए जाते हैं — यह इस पृष्ठ पर पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, और यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। विज्ञप्तियाँ तीन दस्तावेज़ों का नाम एवं क्रमांक देती हैं और कहती हैं कि मूल्यांकन का मानदंड उन्हीं में है तथा उसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है — वे तीन हैं: विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12-01-2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01-03-2024, तथा संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01-10-2024। इन तीनों में से कोई भी विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित नहीं होता। इसलिए सबसे उपयोगी सलाह यही है: सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में इन्हें इसी क्रमांक एवं तिथि से माँगें, क्योंकि क्रमांक बताकर माँगा गया दस्तावेज़ मिल जाता है और "अंक कैसे बनते हैं" पूछने पर प्रायः नहीं मिलता।
- वरीयता सूची पर आपत्ति का अधिकार है, और उसका उपयोग करें। विभाग पहले वरीयता सूची जारी करता है, उस पर अंकों एवं दस्तावेज़ों की अपूर्णताओं पर आपत्ति आमंत्रित करता है, और उसके बाद अंतिम चयन करता है। अंक-गणना में चूक असामान्य नहीं है, विशेषकर जब कोई प्रमाण-पत्र संलग्न होकर भी गिना न गया हो — इसलिए सूची आने पर अपने अंक स्वयं जाँचें और अंतिम तिथि से पहले आपत्ति प्रस्तुत करें।
- आयु की गणना की तिथि यहाँ अलग है और इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। राजस्थान की अधिकांश सीधी भर्तियों में आयु 1 जनवरी को गिनी जाती है, सचिवालय संवर्ग में 1 अप्रैल को — पर यहाँ आयु उस तिथि को गिनी जाती है जिस दिन विज्ञप्ति प्रकाशित होती है। चूँकि हर ज़िला अपनी विज्ञप्ति अलग समय पर निकालता है, इसका अर्थ है कि 35 वर्ष के निकट पहुँची अभ्यर्थी की पात्रता एक ज़िले में समाप्त हो सकती है और दूसरी विज्ञप्ति की तिथि पर पहले ही समाप्त हो चुकी हो सकती है। अपनी तिथि विज्ञप्ति से मिलाकर देखें, अनुमान से नहीं।

- आरक्षण इस पद पर उस केंद्र के आँकड़ों से तय होता है, ज़िले की सूची से नहीं। विज्ञप्ति कहती है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का है, वहाँ का पद उसी वर्ग के लिए आरक्षित है, और यह गणना मुख्यतः उस केंद्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर होती है। अर्थात् एक ही ज़िले के दो केंद्रों की आरक्षण-स्थिति अलग हो सकती है, और अपने केंद्र की स्थिति परियोजना कार्यालय से ही पता चलती है।
- और एक शर्त जो चयन के बाद भी लागू रहती है, इसलिए इसे निर्णय लेते समय जानना चाहिए: यदि किसी भी कारण से — विवाह सहित — महिला उस क्षेत्र की स्थानीय निवासी नहीं रहती, तो मानदेय सेवा स्वतः समाप्त मानी जाती है, और इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन के समय ही देना होता है। व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि यह काम उसी गाँव से बँधा है; इसे साथ लेकर दूसरे गाँव नहीं जाया जा सकता।
- दो प्रावधान ऐसे हैं जो प्रायः किसी को बताए नहीं जाते और जिनसे किसी की पात्रता बदल सकती है। पहला: यदि किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना अथवा सिलिकोसिस से मृत्यु हुई है, तो एफ.आई.आर./पी.एम.आर. एवं मृत्यु के प्रामाणिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर उसकी विधवा पत्नी का चयन उप निदेशक द्वारा सीधे ही किया जाता है — प्राप्त आवेदनों में से सबसे कम आयु वाली महिला का, बशर्ते वह अन्य पात्रता पूरी करती हो — और इसके लिए सभी वर्गों हेतु आयु 18 से 55 वर्ष निर्धारित है। राजस्थान के खान-क्षेत्रों में सिलिकोसिस एक वास्तविक एवं व्यापक कारण है, इसलिए यह प्रावधान कागज़ी नहीं है। दूसरा: न्यायालय के आदेश के अनुसार विवाहित एवं अविवाहित — दोनों महिलाएँ पात्र हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Rajasthan Board of Secondary Education — the Class 12 qualification this post requires — अजमेर, राजस्थान (https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/)
- Rajasthan State Open School — for completing Class 12 alongside work or after a break in schooling — जयपुर, राजस्थान (https://education.rajasthan.gov.in/)
- Vardhaman Mahaveer Open University, Kota — RSCIT through the RKCL centres, the cheapest of the computer qualifications the application form asks about — कोटा, राजस्थान — आर.के.सी.एल. केंद्र हर ज़िले में (https://www.vmou.ac.in/)
- Child Development Project Officer (CDPO) offices — where the form is obtained, submitted and where the evaluation circulars can be asked for — प्रत्येक बाल विकास परियोजना में (https://wcd.rajasthan.gov.in/)

ऑनलाइन

- महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान — ज़िलेवार विज्ञप्तियाँ, आवेदन पत्र एवं वरीयता सूचियाँ — विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र यहीं से मिलते हैं (https://wcd.rajasthan.gov.in/)

- समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.), राजस्थान — योजना, केंद्रों की व्यवस्था एवं मानदेय सम्बन्धी आदेश — पद किस योजना का है, यह यहाँ से समझें (https://wcd.rajasthan.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

यह इस पोर्टल के सबसे कम खर्च वाले रास्तों में से एक है। सरकारी विद्यालय से कक्षा 12 करने पर लगभग कुछ नहीं लगता, और यदि पढ़ाई बीच में छूट गई थी तो राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय से काम के साथ पूरी की जा सकती है। आवेदन निःशुल्क है — न ऑनलाइन शुल्क, न परीक्षा शुल्क, क्योंकि परीक्षा ही नहीं होती; केवल दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ एवं आवेदन दो प्रतियों में देना होता है। खर्च केवल वहाँ आता है जहाँ आप अंक बढ़ाना चाहें, और वहाँ भी सबसे सस्ता विकल्प आर.एस.सी.आई.टी. है जो आर.के.सी.एल. केंद्रों पर कुछ हज़ार रुपये में हो जाता है। एन.टी.टी./डी.पी.एस.ई. एवं ए.एन.एम./जी.एन.एम. जैसे पाठ्यक्रम अधिक महँगे हैं, पर उनका लाभ इस पद से आगे भी रहता है, इसलिए उन्हें केवल इस आवेदन के लिए नहीं, अपने लिए चुनें।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कौन नौकरी देता है

- महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान — समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत
- प्रशासनिक रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) के अधीन, ज़िले के उप निदेशक के नियंत्रण में

माँग (2026)

रिक्तियाँ लगातार निकलती रहती हैं, पर एक राज्य-स्तरीय भर्ती के रूप में नहीं — और यह अंतर व्यावहारिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 30 से अधिक ज़िलों की 41 विज्ञप्तियाँ जारी हुईं, और प्रत्येक केवल उसी ज़िले के उन केंद्रों के लिए थी जो उस समय रिक्त थे — जैसे डीडवाना-कुचामन की विज्ञप्ति 03/2026 में छह परियोजनाओं के कुल 48 पद (16 कार्यकर्ता एवं 32 सहायिका)। इसका अर्थ है कि प्रतीक्षा किसी राज्य-स्तरीय अधिसूचना की नहीं करनी है, बल्कि अपने ज़िले के उप निदेशक कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट को नियमित देखना है; और चूँकि पद केंद्र-विशेष के होते हैं, आपके लिए महत्त्व की संख्या राज्य का कुल आँकड़ा नहीं, बल्कि आपके ही गाँव या वार्ड के केंद्र पर पद रिक्त होना है। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. सहायिका → आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: यह वास्तविक रास्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता के चयन में आंगनबाड़ी का कार्य-अनुभव अंक दिलाता है और सेवा में रहते हुए आयु-सीमा की बाध्यता भी नहीं रहती। दोनों की न्यूनतम योग्यता अब समान है, इसलिए बाधा योग्यता नहीं, केंद्र पर पद रिक्त होना है।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता → महिला पर्यवेक्षक: यह इस संवर्ग की सबसे महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है और यही वह बिंदु है जहाँ मानदेय सेवा से नियमित सरकारी पद तक पहुँचा जा सकता है। महिला पर्यवेक्षक के 50 प्रतिशत पद कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित हैं और बोर्ड इन दोनों हिस्सों की विज्ञप्ति अलग-अलग निकालता है — अर्थात् आपकी प्रतिस्पर्धा खुले बाज़ार से नहीं, अन्य कार्यकर्ताओं से होती है। पर्यवेक्षक का पद वेतनमान वाला सरकारी पद है, मानदेय नहीं। इस पोर्टल पर उसका पूरा पृष्ठ अलग से है और उसे इसी के साथ पढ़ें।
3. महिला पर्यवेक्षक → सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी → बाल विकास परियोजना अधिकारी: पर्यवेक्षक बनने के बाद विभाग की सामान्य पदोन्नति श्रृंखला लागू होती है, और विभाग के पदोन्नति आदेश यह दिखाते भी हैं कि पर्यवेक्षकों को सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। अर्थात् कक्षा 12 उत्तीर्ण एक महिला के लिए यह रास्ता सिद्धांत में परियोजना अधिकारी तक जाता है — लंबा रास्ता है, पर बना हुआ है।
4. यह भी कहना ईमानदारी है कि मानदेय सेवा में स्वयं कोई पदोन्नति एवं कोई वेतन-वृद्धि नहीं है। कार्यकर्ता का मानदेय 5 एवं 10 वर्ष की सेवा पर बढ़ता है, और यही एकमात्र आगे बढ़ना है जो पद के भीतर मिलता है; उससे आगे बढ़ने का रास्ता पर्यवेक्षक की परीक्षा से ही जाता है।

कमाई

शुरुआत	₹10,561 प्रतिमाह (मानदेय — कार्यकर्ता) · ₹6,291 प्रतिमाह (मानदेय — सहायिका)
मध्य स्तर	₹10,600 – ₹10,635 प्रतिमाह (कार्यकर्ता, 5 एवं 10 वर्ष की सेवा पर)
वरिष्ठ स्तर	इससे आगे मानदेय नहीं बढ़ता — आगे का रास्ता महिला पर्यवेक्षक के वेतनमान वाले पद से जाता है

दरें राज्य सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (दिनांक 08-03-2026, राजकाज संदर्भ 20918902) से हैं, जो बजट घोषणा 2026-27 की पालना में जारी हुई और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। कार्यकर्ता का मानदेय ₹10,010 से ₹10,561 और सहायिका का ₹5,924 से ₹6,291 हुआ; शिशु पालना गृह कार्यकर्ता का ₹5,009 से ₹5,510। कार्यकर्ता के मानदेय की छह श्रेणियाँ हैं — मैट्रिक एवं नान-मैट्रिक, और उन पर 5 एवं 10 वर्ष की सेवा — पर चूँकि अब न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 है, नई चयनित प्रत्येक कार्यकर्ता मैट्रिक दर पर ही आती है, इसलिए व्यवहार में ये श्रेणियाँ योग्यता की नहीं, सेवा-अवधि की सीढ़ियाँ हैं। एक तथ्य ऐसा है जिसे स्पष्ट कहा जाना चाहिए: कार्यकर्ता एवं सहायिका — दोनों की न्यूनतम योग्यता अब समान कक्षा 12 है, पर सहायिका का मानदेय कार्यकर्ता के लगभग 60 प्रतिशत है। एक ही केंद्र पर दोनों पद रिक्त हों तो यह अंतर जानकर चुनाव करना चाहिए। और यह जानने योग्य है कि 08-03-2026 की स्वीकृति में केंद्र का अंश किसी भी श्रेणी में नहीं बढ़ा — पूरी वृद्धि राज्य के अंश में हुई, इसीलिए यह राज्य की बजट घोषणा से आई। यह आँकड़ा मानदेय है, वेतन नहीं — और यही इस पद की सबसे बड़ी बात है जिसे पहले समझ लेना चाहिए। मानदेय पर महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वेतन-वृद्धि, पेंशन एवं वेतनमान के अन्य लाभ लागू नहीं होते; जो राशि स्वीकृत है वही मिलती है। दर तब बदलती है जब राज्य सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करती है, प्रायः बजट घोषणा की पालना में — किसी वेतन आयोग की सिफ़ारिश से नहीं। इसलिए इस पृष्ठ पर सातवें या आठवें वेतन आयोग की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका इस पद पर कोई लागू नहीं होता।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- कक्षा 12 उत्तीर्ण महिला के लिए यह अपने ही गाँव में उपलब्ध सबसे सुलभ संगठित काम है — कोई परीक्षा नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई कोचिंग नहीं, और आवेदन अपने ही परियोजना कार्यालय में।
- चूँकि चयन दस्तावेज़ों के अंकों से होता है, प्रयास का प्रतिफल निश्चित दिशा में मिलता है: आर.एस.सी.आई.टी. जैसी एक सस्ती योग्यता जोड़ना सीधे अंक बढ़ाता है, जबकि परीक्षा वाली भर्तियों में वर्षों की तैयारी भी परिणाम की गारंटी नहीं देती।
- काम घर के पास है, इसलिए वह उन महिलाओं के लिए भी संभव है जिनके लिए ज़िले या राज्य से बाहर पदस्थापन व्यावहारिक नहीं होता — और यह इस पद की सबसे बड़ी व्यावहारिक शक्ति है।
- पर्यवेक्षक तक जाने का आरक्षित रास्ता वास्तविक है: महिला पर्यवेक्षक के आधे पद कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित हैं, और पर्यवेक्षक का पद वेतनमान वाला नियमित सरकारी पद है। मानदेय से नियमित सेवा तक पहुँचने का यह एक बना हुआ रास्ता है।
- गाँव में इस काम की सामाजिक प्रतिष्ठा वास्तविक है — पोषण, टीकाकरण एवं बच्चों की शिक्षा में जो व्यक्ति भरोसे का होता है, वह प्रायः यही होता है, और यह अनुभव आगे स्वास्थ्य एवं शिक्षा के किसी भी काम में मूल्यवान रहता है।

चुनौतियाँ

- यह सरकारी पद नहीं है, और यह इस पद की सबसे बड़ी सीमा है। आवेदन पत्र में ही अभ्यर्थी को यह घोषित करना होता है कि पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना का है। इसका अर्थ है कोई वेतनमान नहीं, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता नहीं, वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं, पेंशन नहीं, और सेवा की वह सुरक्षा नहीं जो नियमित पद के साथ आती है।
- मानदेय काम की मात्रा के अनुपात में कम है। कार्यकर्ता का ₹10,561 प्रतिमाह उन ज़िम्मेदारियों के लिए है जिनमें केंद्र का संचालन, पोषाहार, आरंभिक शिक्षा, सर्वे, वृद्धि-निगरानी, पोर्टल पर प्रविष्टि एवं गृह भ्रमण सब आते हैं; और सहायिका का ₹6,291 उसी योग्यता पर। इसे मासिक आय मानकर परिवार की योजना बनाना कठिन है।
- काम एक ही गाँव या वार्ड से बँधा है, और यह बंधन नियम में लिखा है। स्थानीय निवासी न रहने पर — विवाह सहित किसी भी कारण से — मानदेय सेवा स्वतः समाप्त मानी जाती है, और इसका शपथ-पत्र आवेदन के समय ही देना होता है। अर्थात् यह काम स्थानांतरित नहीं होता, साथ नहीं जाता।
- रिक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है। पद केंद्र-विशेष के होते हैं और आपके ही गाँव अथवा वार्ड के केंद्र पर पद रिक्त होना अनिवार्य है — योग्यता पूरी होते हुए भी वर्षों तक कोई अवसर न आना संभव है, और आरक्षण भी उस केंद्र के सर्वे आँकड़ों से तय होता है, न कि किसी ज़िला-स्तरीय सूची से।
- चयन का अंक-आधार प्रकाशित नहीं है। विज्ञप्ति तीन विभागीय दस्तावेज़ों का नाम देती है और कहती है कि मानदंड उन्हीं में है, पर उन्हें विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित नहीं करती — इसलिए आवेदक को यह पहले से नहीं पता होता कि किस योग्यता के कितने अंक हैं, और यह जानकारी परियोजना कार्यालय से माँगकर ही मिलती है।

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- बाल विकास विशेषज्ञ
- पर्यवेक्षक — महिला अधिकारिता (महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान)
- सामाजिक कार्यकर्ता

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान — विभागीय वेबसाइट (ज़िलेवार विज्ञप्तियाँ, आवेदन पत्र एवं वरीयता सूचियाँ यहीं प्रकाशित होती हैं) — https://wcd.rajasthan.gov.in/

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के मानदेय की दरों में 1 अप्रैल 2026 से वृद्धि — प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, दिनांक 08-03-2026 (राजकाज संदर्भ 20918902) — https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/OrderEntry/ICDS/2026/Order/O_160326_fda0b040-1fff-4cd7-a84b-7cb3521bae26.pdf

3. ज़िला नागौर — आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त मानदेय पदों की विज्ञप्ति, उप निदेशक द्वारा 03-07-2026 को ई-हस्ताक्षरित (पात्रता की शर्तें, आयु, आरक्षण एवं चयन प्रक्रिया इसी में) — https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/OrderEntry/ICDS/2026/Publication/O_120726_375ad903-810f-46ca-9314-530e17f7992a.pdf

4. ज़िला डीडवाना-कुचामन — विज्ञप्ति संख्या 03/2026, दिनांक 18-06-2026 (छह परियोजनाओं के 48 पद, तथा चयन के तीन आधार-परिपत्रों के क्रमांक) — https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/OrderEntry/Homeopathic_Chikitsa_Vibhag/2026/Order/O_300626_1fe93c5e-e542-40f7-99cb-b5c4693b3b8d.pdf

5. राजस्थान बजट भाषण 2026-27, दिनांक 11-02-2026 — आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति एवं आगामी वर्ष की घोषणाएँ (अनुच्छेद 101) — https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2026-2027/BudgetSpeech202627.pdf

6. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

7. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

8. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in